Under CSR Support by ipca | Foundation

RIICO

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा-9वीं राजस्थान बोर्ड 2027

ARJUN BATCH

लोकतांत्रिक राजनीति

चुनावी राजनीति

CHAPTER 03 || PART -03

14 SEP 2026 || 05:00 PM



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

आज क्या पढ़ेंगे ?



1. मतदाता सूची
2. उम्मीदवारों का नामांकन

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

पहले — 21 वर्ष

मतदाता सूची

सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार

सभी

18 वर्ष

↳ वोट का अधिकार

ऐसा नागरिकों का समूह जिसने निश्चित आयु प्राप्त (भा. में 18 वर्ष) लोगों / नाग. को मताधिकार

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

18 वर्ष

वोट का अधिकार → व्यक्ति → मानसिक विकृत → Vote Right ✗✗

विवाह की आयु

लड़का — 18 वर्ष

लड़की → 21 वर्ष

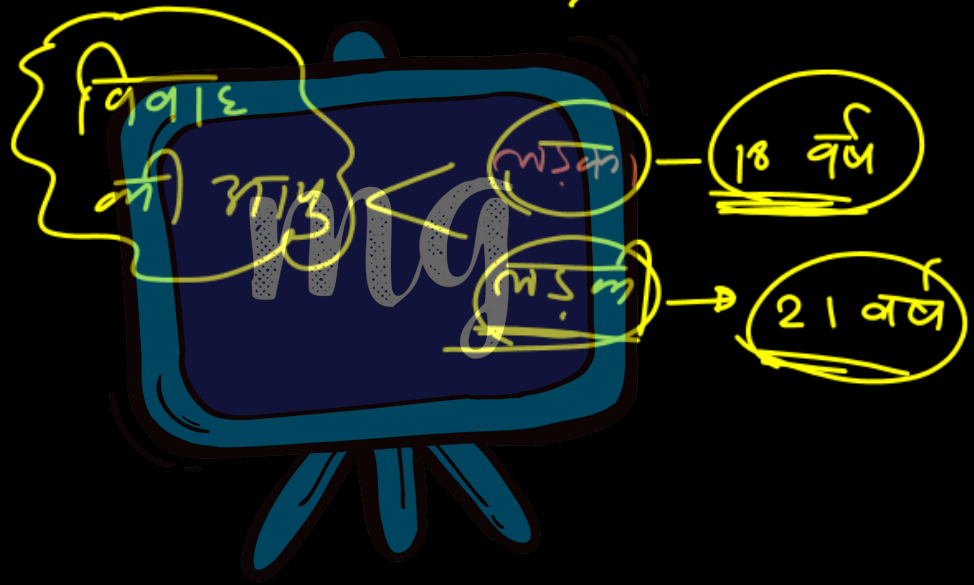

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कौन वोट दे सकता है?



- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार।
- जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना प्रत्येक नागरिक को मताधिकार।
- कुछ अपराधियों और विकृत मानसिक स्थिति वाले व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जाना संभव, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



मतदाता सूची

- लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची तैयार करना।
- इस सूची का आधिकारिक नाम निर्वाचक नामावली तथा सामान्य नाम मतदाता सूची।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

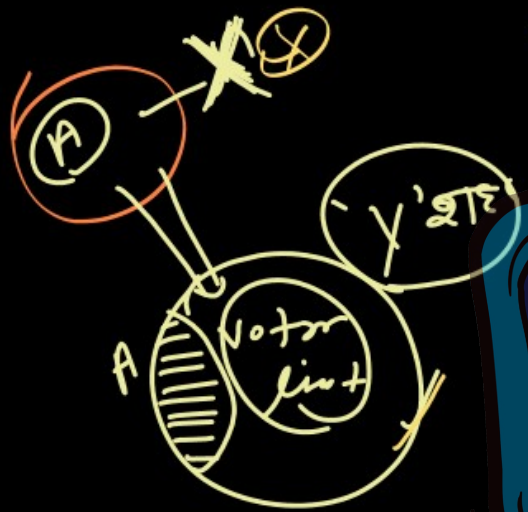

- मतदान के योग्य सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना सरकार की जिम्मेदारी।
- मतदान आयु प्राप्त लोगों के नाम जोड़ना तथा स्थानांतरण या मृत्यु पर नाम हटाना।
- मतदाता सूची को अद्यतन बनाए रखने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में संशोधन।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



चुनाव फोटो पहचान पत्र (EPIC)

- मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को यह पहचान पत्र दिया जाता है।
- फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदान के समय मतदाताओं को यह कार्ड साथ रखने के लिए कहा जाता है।
- हालाँकि, अभी यह कार्ड अनिवार्य नहीं है।
- मतदाता मतदान के लिए राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान-पत्र भी दिखा सकते हैं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

उम्मीदवारों का नामांकन

- उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक।
- उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना आवश्यक।
- अपराधियों पर कुछ प्रतिबंध, लेकिन ये केवल अत्यंत गंभीर मामलो में लागू।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

पार्टी का 'टिकट'

- राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें चुनाव-चिह्न और समर्थन देते हैं।
- इसे पार्टी का 'टिकट' कहा जाता है।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए 'नामांकन-पत्र' भरना और 'जमानत राशि' जमा करना आवश्यक।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

❖ प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कानूनी घोषणा-पत्र में निम्न विवरण देना आवश्यक :–

- उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित गंभीर आपराधिक मामले।
- उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति तथा देनदारियाँ।
- उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यताएँ।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



चुनाव प्रचार

- उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच दो सप्ताह तक चुनाव प्रचार।

उम्मीदवारों की अंतिम सूची → 14 दिन (2 सप्ताह) → मतदान की तारीख

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



- इस दौरान :-
  - उम्मीदवारों का मतदाताओं से संपर्क।
  - नेताओं द्वारा चुनावी सभाओं का आयोजन।
  - राजनीतिक दलों द्वारा समर्थकों को सक्रिय करना।
- समाचार-पत्रों और टेलीविजन समाचारों में चुनाव संबंधी खबरों एवं बहसों का प्रसारण।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



- चुनाव अभियान केवल अंतिम दो सप्ताह तक सीमित नहीं।
- राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव से कई महीने पहले तैयारी शुरू।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

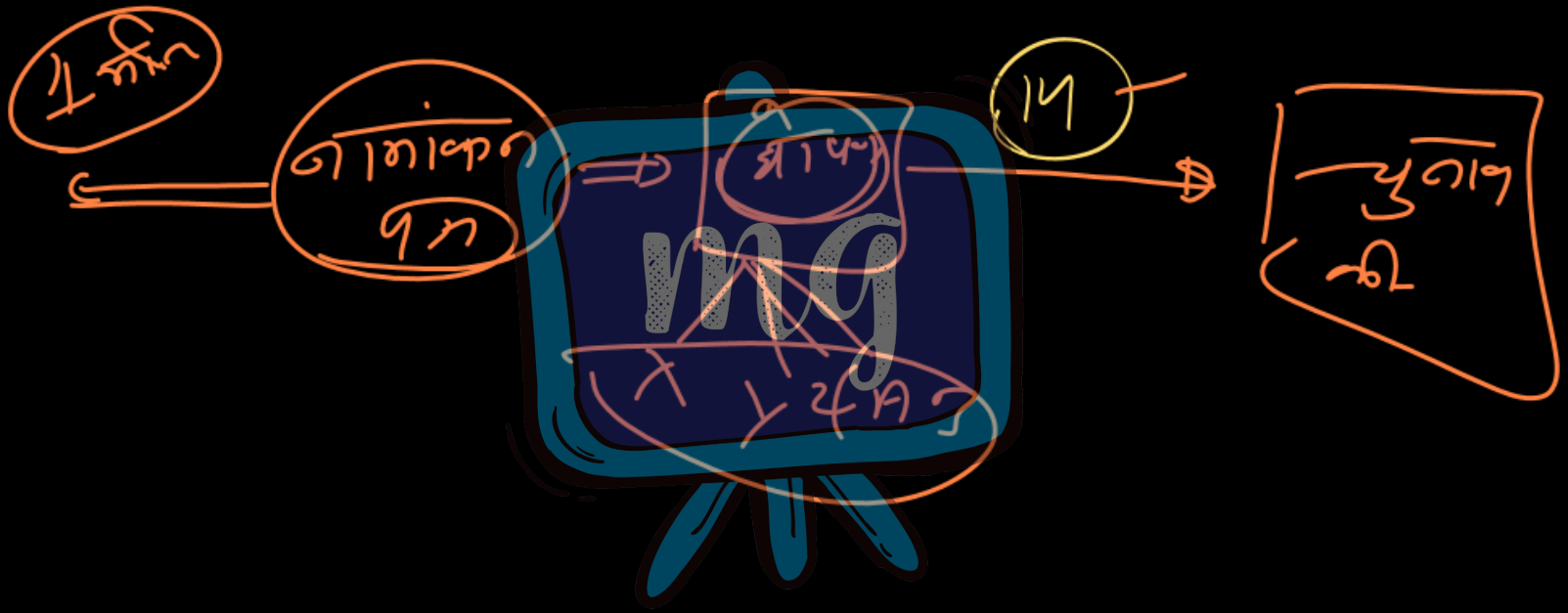

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

पिछले चुनावों के कुछ सफल नारे

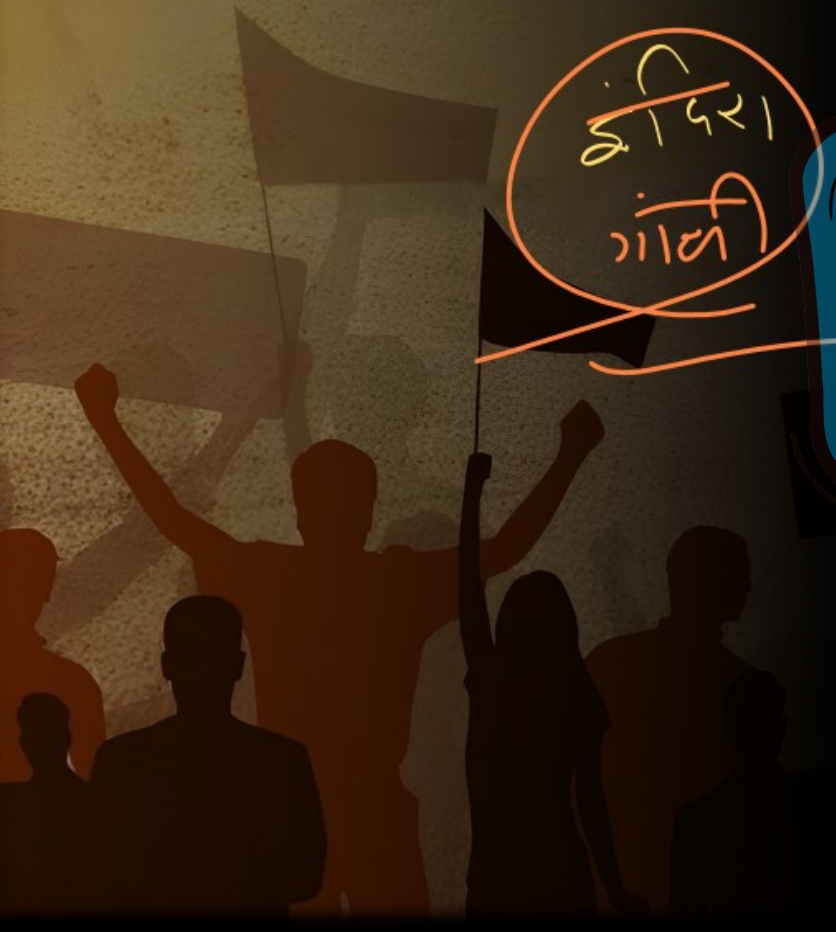

इंदिरा गांधी

गरीबी हटाओ

लोकतंत्र बचाओ

जमीन जोतने वाले को

तेलुगू स्वाभिमान की रक्षा

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

1. गरीबी हटाओ

- 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा 'गरीबी हटाओ' नारे का प्रयोग।
- गरीबी दूर करने के लिए सरकारी नीतियों में बदलाव का वादा।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

2. लोकतंत्र बचाओ

- 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली जनता पार्टी द्वारा 'लोकतंत्र बचाओ' नारे का प्रयोग।
- आपातकाल के बाद नागरिक स्वतंत्रताओं को बहाल करने का वादा।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



3. जोतने वाले को जमीन

- 1977 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे ने "जोतने वाले को जमीन" का नारा दिया।





Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

4. तेलुगू स्वाभिमान की रक्षा

N·T रामाराव

- 1983 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में एन. टी. रामाराव के नेतृत्व वाली तेलुगू देशम पार्टी ने "तेलुगू स्वाभिमान की रक्षा" का नारा दिया।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार:

1. मतदाताओं को न तो रिश्वत दे सकता है और न ही धमकी।
2. जाति के नाम पर मतदाताओं से वोट की अपील नहीं कर सकता।
3. चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

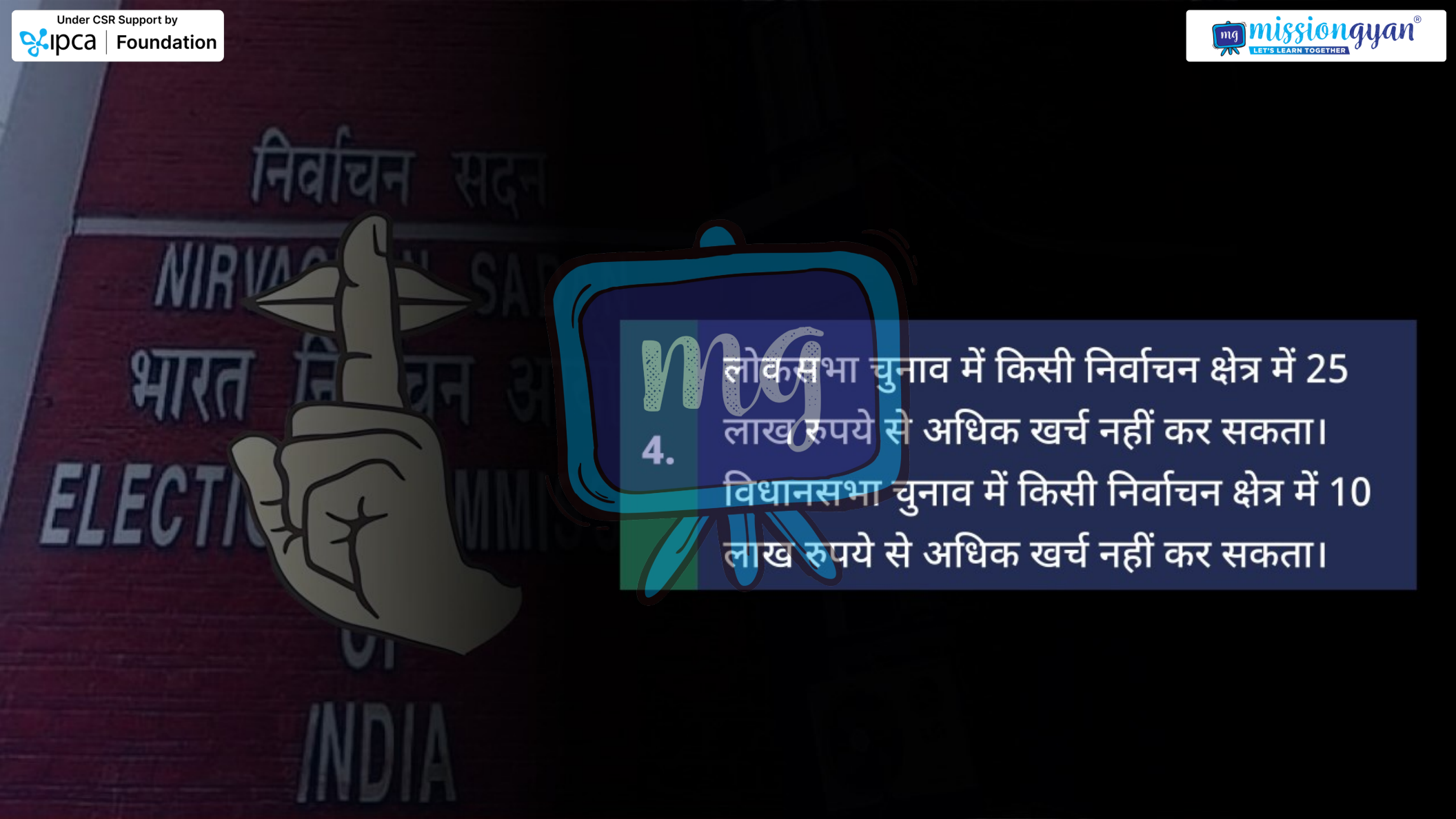

4. लोकसभा चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकता।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

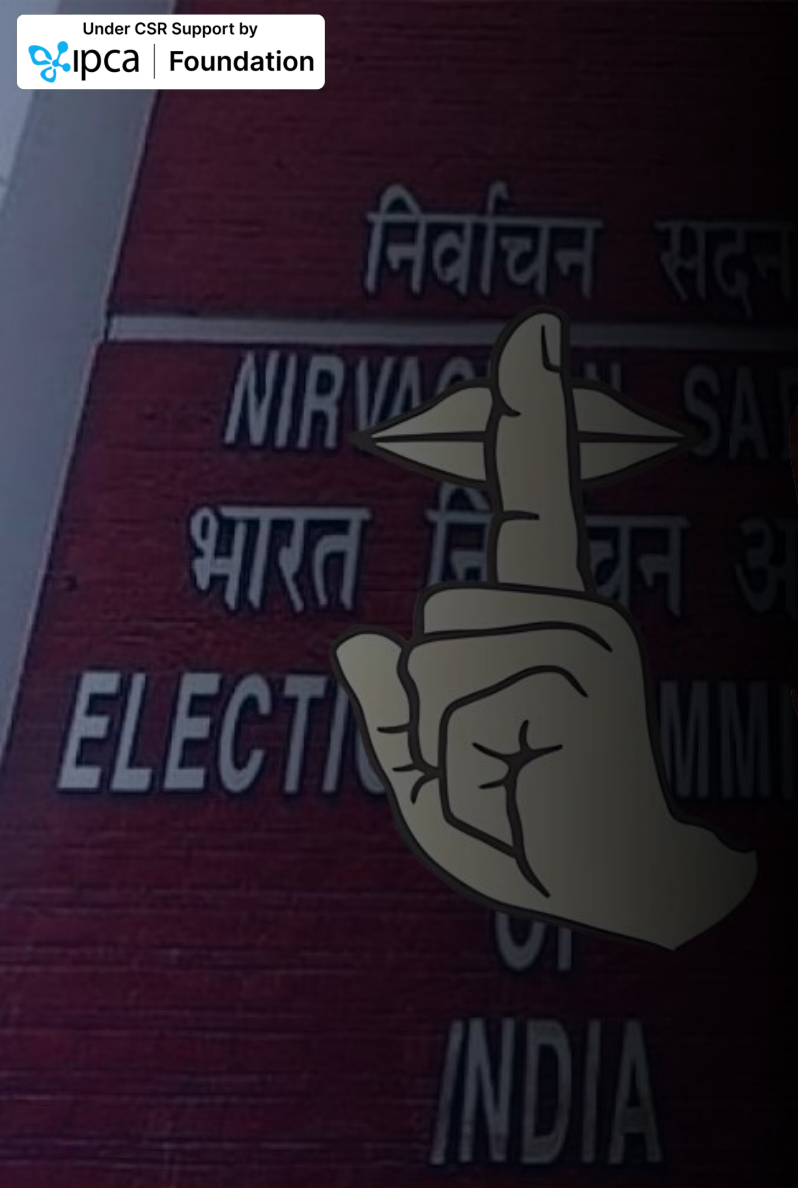

- यदि कोई दल या उम्मीदवार ऐसा करता है, तो निर्वाचित घोषित होने के बाद भी अदालत उसका चुनाव रद्द कर सकती है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

आदर्श चुनाव आचार संहिता

- हमारे देश के सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए एक आदर्श आचार संहिता का पालन करने पर सहमत।
- किसी भी दल को इसका उल्लंघन करने की अनुमति नहीं।

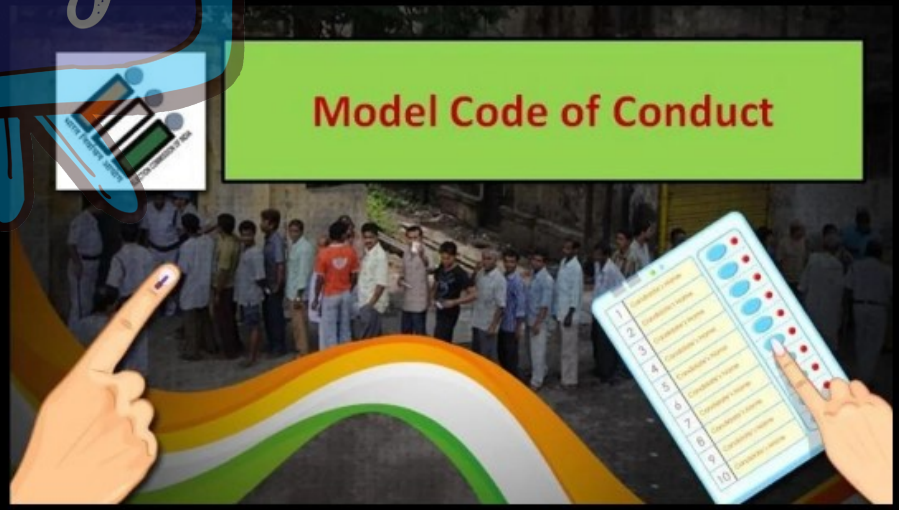

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

आदर्श चुनाव आचार संहिता



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

1. चुनाव प्रचार के लिए किसी भी पूजा-स्थल का उपयोग नहीं।

2. चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का उपयोग नहीं।

3. चुनाव की घोषणा के बाद मंत्रियों द्वारा किसी परियोजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या जनता को सुविधाएँ देने के वादे की मनाही।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

मतदान और मतगणना

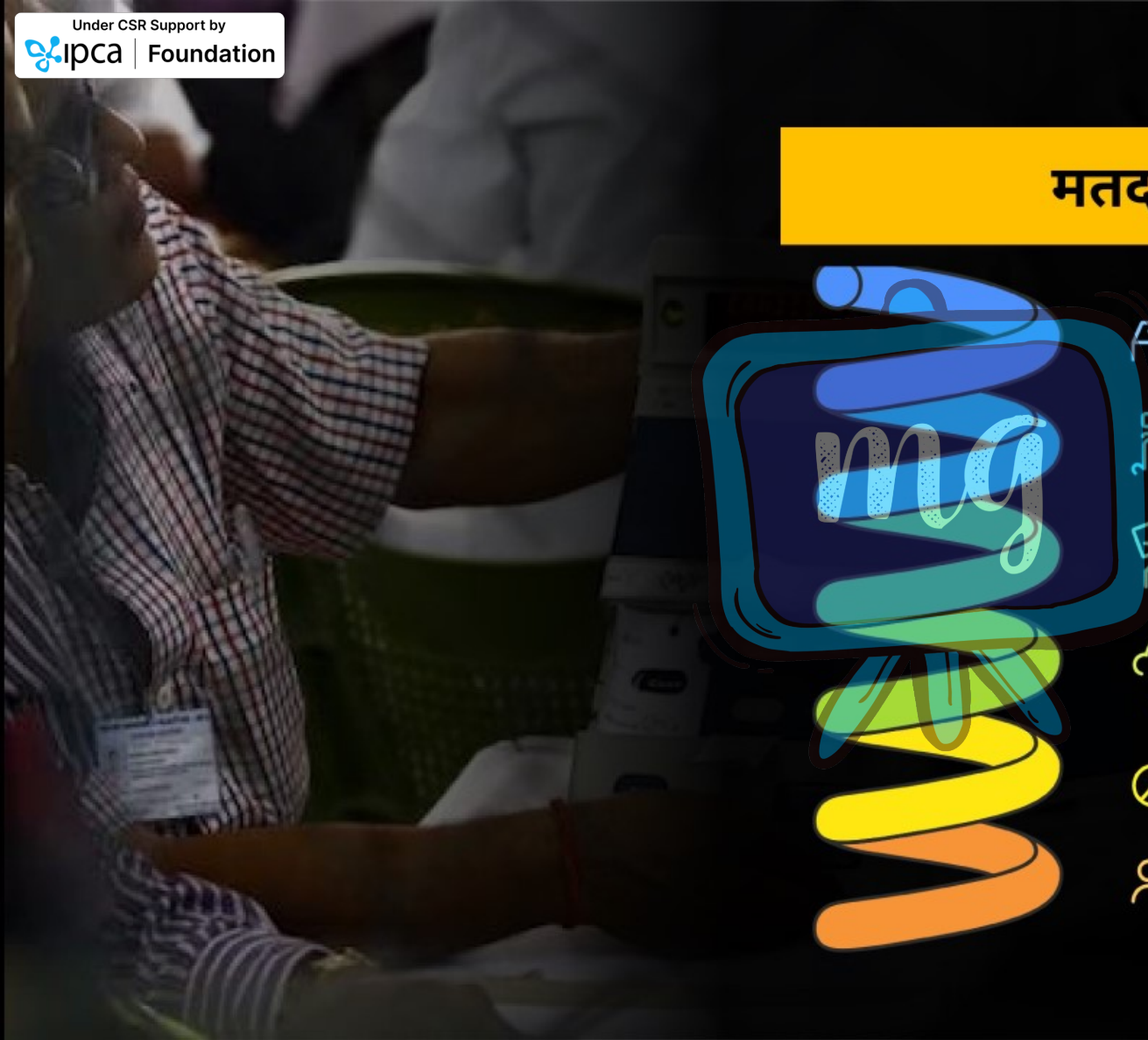

- मतदान केंद्र
- उँगली पर निशान लगाना
- मतदान करना
- ईवीएम को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना
- मतों की गिनती
- विजेताओं की घोषणा

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- मतदाता सूची में शामिल मतदाता स्थानीय मतदान केंद्र पर मतदान के लिए उपस्थित।
- मतदान केंद्र प्रायः स्कूलों या सरकारी कार्यालयों में स्थापित।
- चुनाव अधिकारी मतदाता की पहचान और उसकी उँगली पर निशान लगाने के बाद मतदान की अनुमति देते हैं।

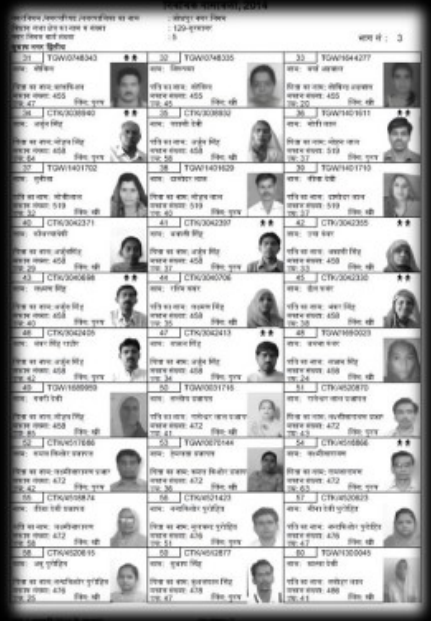

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार का एक एजेंट मतदान केंद्र के अंदर उपस्थित।
- पहले मतदाता मतपत्र पर मुहर लगाकर अपनी पसंद दर्शाते थे।
- मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम, दलों के नाम और चुनाव-चिह्न अंकित।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग।
- ईवीएम पर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव-चिह्न अंकित।
- मतदाता द्वारा पसंदीदा उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबाकर मतदान।

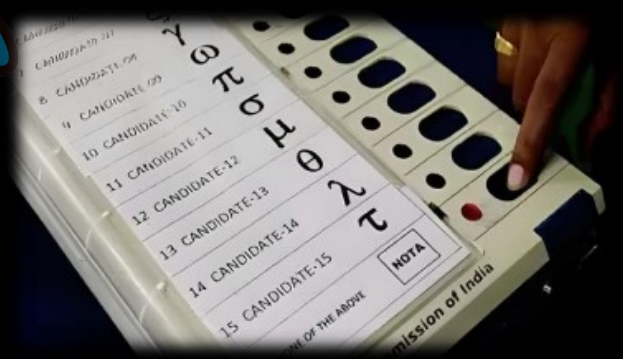

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

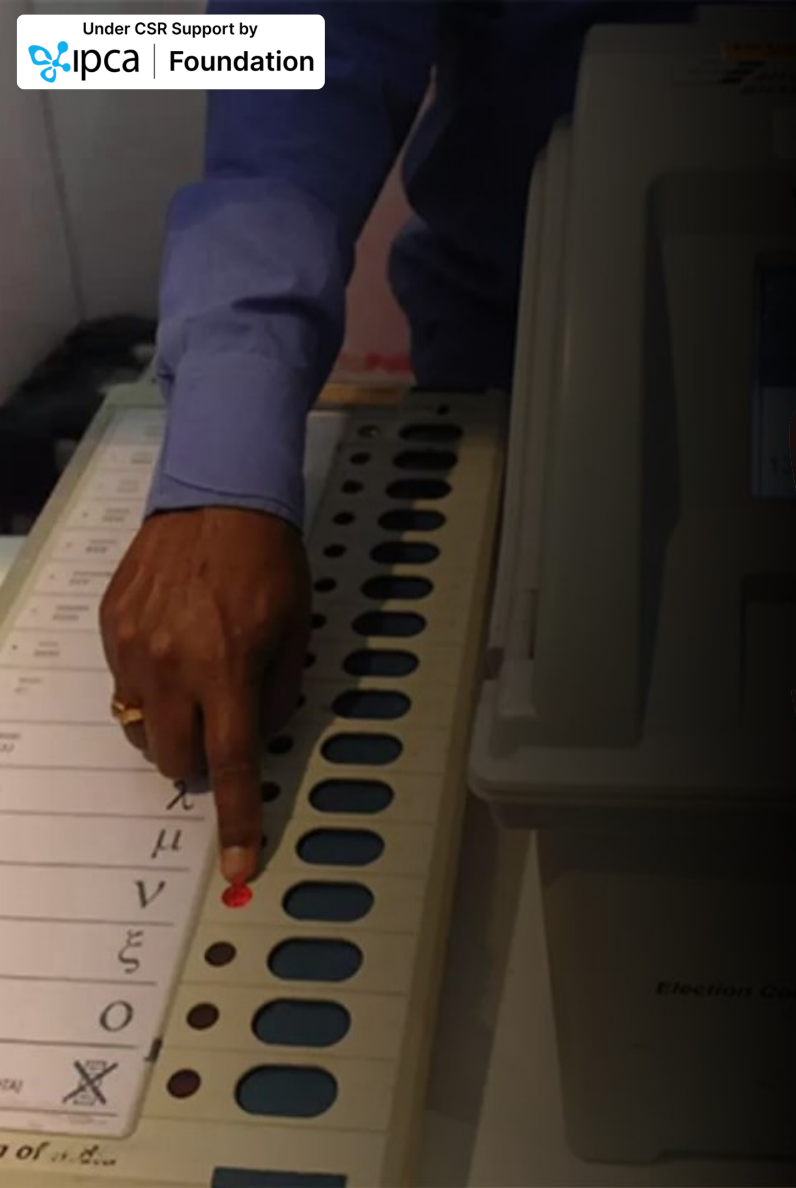

वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीन

- 7 सेकंड तक मुद्रित पर्ची का प्रदर्शन।
- पर्ची पर अंकित जानकारी :
  - क्रम संख्या, चुने गए उम्मीदवार का नाम
  - चुने गए उम्मीदवार का चुनाव-चिह्न
- मतदाता को अपना मत सत्यापित करने और इच्छित उम्मीदवार को मत पड़ने की पुष्टि की सुविधा।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

- मतदान के बाद सभी ईवीएम को सीलबंद करके सुरक्षित स्थान पर ले जाना।
- कुछ दिनों बाद निर्धारित तिथि पर निर्वाचन क्षेत्र की सभी ईवीएम खोलकर प्रत्येक उम्मीदवार को मिले मतों की गिनती।
- सभी उम्मीदवारों के एजेंटों द्वारा मतगणना सही ढंग से होने की निगरानी।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित घोषित।
- आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की गिनती प्रायः एक ही दिन और एक ही समय पर।



Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- टेलीविजन चैनलों, रेडियो और समाचार-पत्रों द्वारा चुनाव परिणामों की जानकारी।
- मतगणना के कुछ ही घंटों में सभी परिणामों की घोषणा और अगली सरकार बनाने वाले दल की स्थिति स्पष्ट।

